संख्या:-3135 /एक-10-2018-33(32)/2018

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 28 सितम्बर, 2018

विषय:-जनपद बलिया के तहसील बैरिया के ग्राम बहुआरा में गंगा नदी के बाढ़ के कटान से पीड़ित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित किये जाने के लिए भूमि क्रय करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-94/सी.आर.ए.-आपदा, दिनांक 03.09.2018 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्तावानुसार तहसील बैरिया के ग्राम बहुआरा में गंगा नदी के बाढ़ के कटान से पीड़ित 58 पात्र व्यक्तियों को भूमि क्रय कर नि:शुल्क आवंटित किये जाने हेतुपुर्नवासित किये जाने के लिए रू0 56,53,100/- (रूपये छप्पन लाख तीरपन हजार एक सौ मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के आधार पर प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियम एवं शासनादेश के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, तथा यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो कोषागार में तत्काल जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाए। जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण कर प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2019 तक पूर्णरूपेण उपयोग कर लिया जायेगा और यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे दिंनांक: 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित कर दिया जायेगा।

3- तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि का क्रय कर नि:शुल्क आवंटन कराये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-2010/एक-10-2012-33(37)/12 टी.सी.-1, दिंनांक: 31.07.2012 में उल्लिखित व्यवस्था/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-प्राकृतिक आपदायें-08-प्रदेश में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि क्रय-24-वृहत निर्माण कार्य" के नाम डाला जायेगा।

5- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

6- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीय,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

संख्या:-3135(1)/एक-10-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2- विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री उ०प्र० लखनऊ।
3- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव उ०प्र० लखनऊ।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ
5- मण्डलायुक्त आजमगढ़।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ०प्र०।
7- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बलिया।
8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू०पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
10 समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-11,12,13 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी),
उप सचिव।